प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश
भारत से विविध विप्रेषणों के संबंध में मास्टर परिपत्र -निवासियों के लिए सुविधाएं

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी अधिनियम/ विनियमों/ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

विभिन्न लेनदेनों, विशेषकर चालू खाते के लिए विप्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सत्यापित किए जानेवाले दस्तावेज़ों का निर्धारण रिज़र्व बैंक नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार , किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने के पहले,प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति (आवेदक), जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, से घोषणा और अन्य ऐसी जानकारी प्राप्त करें जो उसे संतुष्ट करेगा कि लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों अथवा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा अधिनियम के तहत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन अथवा अपवंचन नहीं करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन करने से पूर्व आवेदक से प्राप्त जानकारी/ दस्तावेज़ों को रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सुरक्षित रखें।

यदि व्यक्ति, जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने से इंकार करता है अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं करता है तो, उसे लिखित रूप में लेनदेन करने से इंकार किया जाएगा। जहां प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि लेनदेन में अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन अथवा अपवंचन के इरादे से उसने इंकार किया है तो, वह रिज़र्व बैंक को इसकी सूचना दें।

समान पद्धति बनाए रखने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी आवश्यकताओं अथवा अपनी शाखाओं द्वारा प्राप्त किए जानेवाले दस्तावेज़ों का विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 3 के अनुसार, उसकी अनुसूची I में शामिल लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण निषिद्ध है।

नियमावली की अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं बशर्ते आवेदक ने लेनदेन के लिए भारत सरकार, के मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है।

अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के संबंध में, जहां आवेदित विप्रेषण अनुसूची में दर्शाए गए अथवा अनुसूची III में शामिल अन्य लेन-देनों , जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, से अधिक है, यदि कोई हो, तो रिज़र्व

बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। फिर भी निवासी व्यक्ति को योजना की शर्तों के अनुपालन अधीन विप्रेषण की अतिरिक्त राशि के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना का लाभ उठाने का विकल्प है। सभी अन्य चालू लेन-देन, जो नियमावली के तहत विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं अथवा जो अनुसूची II अथवा अनुसूची III में शामिल नहीं हैं, के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर प्राधिकृत व्यापारी, बगैर किसी मौद्रिक/प्रतिशत सीमाओं के विप्रेषण की अनुमति दे सकता है। अनुसूची III में शामिल लेन-देनों के लिए उसमें निर्धारित सीमा तक प्राधिकृत व्यापारी अनुमति दे सकते हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 9 अक्तूबर , 2002 के उनके परिपत्र सं.10/2002 में निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को प्रेषण की अनुमति देगा (26 नवंबर 2002 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56 देखें)।

2. स्वत: घोषणा के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी किसी प्रकार के सहायक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर जोर दिए बगैर , किंतु लेन-देनों के मूल ब्योरों और फार्म अ 2 में आवेदन की प्रस्तुति को शामिल करते हुए (i) विदेश में नौकरी, (ii) उत्प्रवास (इमीग्रेशन), (iii) विदेश में रहनेवाले निकट रिश्तेदारों के जीवन-निर्वाह, (iv) विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, और (v) विदेश में चिकित्सा कराने के लिए 100,000 अमरीकी डालर के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान आवेदक द्वारा चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा उसके खाते के नामे डालकर किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी दिनांक 10 दिसंबर 2008 के हमारे ए.पी.(डीआइआर) परिपत्र सं. 40 नियत किये अनुसार कार्ड धारकों के क्रेडिट/डेबिट/प्रि-पेड कार्ड के जरिए भी भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के एक या एक से अधिक निजी दौरों के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर तक अथवा उसके समतुल्य राशि जारी किए जाने की वर्तमान सुविधा स्वत:घोषणा के आधार पर जारी रहेगी

3.कम मूल्य वाले प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी सभी अनुमत चालू खाता लेन-देनों के लिए अधिकतम 25,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी अनुबंध – 2 में दर्शाए अनुसार सरलीकृत आवेदन व घोषणा (फार्म ए-2) प्राप्त करें।

4. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेनों अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए निवासी व्यक्तियों को इस योजना के तहत विप्रेषण की अनुमति है।

योजना के तहत सुविधा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची III में पहले ही शामिल की गई सुविधा के अतिरिक्त है। इस योजना के अंतर्गत उपहार तथा दान के लिए विप्रेषण शामिल किया गया है।

योजना के तहत, निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत के बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर(सूचीबद्ध अथवा अन्यथा) अथवा ऋण लिखतें अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है अथवा रख सकता है। वे भारत के बाहर बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोल, रख और धारित भी कर सकते हैं। फिर भी, योजना के तहत, समुद्रपारीय मंडियों/ समुद्रपारीय प्रतिपक्षों को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए भारत से विप्रेषण की अनुमति नहीं है।

व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को नामित करना होगा जिसके माध्यम से योजना के तहत सभी विप्रेषण किए जाएंगे। इस योजना के तहत विप्रेषणों के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएएन) होना अनिवार्य है ।

निवासी व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराते समय प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खातों के संबंध में, **" अपने ग्राहकों को जानिए "** मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित किया जाता है। उन्हें इस सुविधा की अनुमति देते समय प्रचलित **धनशोधन निवारक नियमों** का भी अनुपालन किया जाना चाहिए।

आवेदकों का विप्रेषण के पूर्व कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पास बैंक खाता होना चाहिए। विप्रेषण की इच्छा रखनेवाला आवेदक यदि बैंक का नया ग्राहक है, तो प्राधिकृत व्यापारी खाता खोलते, परिचालित करते और रखते समय समुचित सावधानी बरते। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी निधियों के स्रोत के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आवेदक से पिछले वर्ष का बैंक विवरण प्राप्त करें। यदि ऐसा बैंक विवरण उपलब्ध न हो, तो अद्यतन आयकर निर्धारण आदेश अथवा आवेदक द्वारा दाखिल रिर्टन प्राप्त किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि विप्रेषण की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति की निधियों में से, भुगतान आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक अथवा उसके खाते नामे डालकर अथवा डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के जरिए प्राप्त किया जाता है। इस योजना के तहत विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक, निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध न कराएं।

इस योजना के अंतर्गत विप्रेषणों को सामान्य अवधि में आर-विवरणी में रिपोर्ट किया जाएगा। अधिकतम 25000 अमरीकी डालर तक के विप्रेषणों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी डमी (dummy) फार्म ए-2 तैयार करे और रिकार्ड में भी रखे। प्राधिकृत व्यापारी बैंक डमी (dummy) फॉर्म ए-2 तैयार करेगा ताकि वह भुगतान संतुलन के लिए सांख्यिकी इनपुट हेतु विप्रेषण के प्रयोजन प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी **मासिक आधार** पर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग (ईपीडी), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को योजना के तहत आवेदकों की संख्या और विप्रेषित कुल राशि की जानकारी भी प्रस्तुत करेगा।